सत्यमेव जयते

Safety Regulation
Since 1983

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद
ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD

अध्यक्ष
CHAIRMAN

No. AERB/CH/NFC-Kota/2026/01 **April 24, 2026**

विषय: नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र - कोटा के प्रचालन के लिए लाइसेंस
Sub: License for Operation of Nuclear Fuel Complex-Kota (NFC-Kota)

संदर्भ References:

1. *नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र – कोटा के हॉट कमीशनिंग के लिए अनुमति, क्रमांक एईआरबी/सीएच/एनएफसी-कोटा/2025 दिनांक 17 नवंबर, 2025/01 Consent for Hot Commissioning of Nuclear Fuel Complex-Kota vide no. AERB/CH/NFC-Kota/2025/01 dated November 17, 2025*
2. *एनएफसी-कोटा में प्रचालन के लिए अनुमति हेतु आवेदन संख्या एनएफसी-के/जीएम/एईआरबी/2026/1057, दिनांक 17 मार्च, 2026/ Application for License for operation at NFC-Kota vide no. NFC-K/GM/AERB/2026/1057, dated March 17, 2026*
3. *दिनांक 2 अप्रैल, 2026 के पत्र संख्या एनएफसी-के/पीडी और डीसीई/एईआरबी/2026/1063 के माध्यम से रेडियोधर्मी अपशिष्ट के निस्तारण हेतु प्राधिकार के लिए आवेदन / Application for Authorization to dispose of radioactive wastes vide no. NFC-K/PD&DCE/AERB/2026/1063 dated April 2, 2026*

अनुमति संख्या License Number	एनएफसी-कोटा NFC–Kota/2026/01
अनुमति का चरण Stage of Consent	प्रचालन Operation
आवेदक Applicant	डॉ. कोमल कपूर Dr. Komal Kapoor अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र Chairman and Chief Executive, Nuclear Fuel Complex
परियोजना का संक्षिप्त विवरण Brief Description of Project	700MWe दाबित भारी पानी विद्युत संयंत्रों (PHWR) के लिए ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रावतभाटा, राजस्थान साइट पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र -कोटा (एनएफसी-कोटा) की स्थापना की जा रही है। Nuclear Fuel Complex-Kota (NFC-Kota) is being established by NFC at Rawatbhata, Rajasthan Site to meet the fuel requirements for the 700MWe PHWRs. हॉट कमीशनिंग के लिए सहमति क्रमशः नवंबर, 2025 [1] में जारी की गई थी। इसके बाद, प्रचालन करने के लिए एनएफसी-कोटा ने मार्च 2026 में अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया [2]।

	Consent for Hot Commissioning was issued in November, 2025 [1]. Subsequently, NFC-Kota submitted Application for License for Operation in March, 2026 [2], to carry out regular operation in NFC Kota.
लाइसेंस प्राप्त वार्षिक क्षमता Licensed Annual capacity	700 MWe PHWR के लिए 500 MT के ईंधन बंडल (प्राकृतिक UO_2) 500 MT of 700 MWe PHWR fuel bundles (Natural UO_2)
अनुमति जारी करने का आधार Basis of issuing the License	एईआरबी संरक्षा संहिताओं के अनुसार एईआरबी नियामक आवश्यकताएं (i) नाभिकीय और विकिरण सुविधाओं का नियमन (एईआरबी/एससी/जी), (ii) नाभिकीय सुविधाओं के स्थल मूल्यांकन पर एईआरबी संरक्षा संहिता (एईआरबी/एनएफ/एससी/एस, संशोधन 1), (iii) एनपीपी में गुणवत्ता आश्वासन पर एईआरबी संरक्षा संहिता (एईआरबी/एससी/क्यूए) (iv) नाभिकीय सुविधाओं के लिए अग्नि संरक्षा प्रणालियों हेतु एईआरबी संरक्षा मानक (एईआरबी/एनएफ/एसएस/एफपीएस, संशोधन-1) (v) नाभिकीय ईंधन चक्र सुविधाओं और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और अनुसंधान रिएक्टरों के अलावा संबंधित औद्योगिक सुविधाओं के लिए अनुमति प्रक्रिया पर एईआरबी संरक्षा निर्देशिका (एईआरबी/एनएफ/एसजी/जी-2) और संबंधित संरक्षा मानक और निर्देशिकाएँ। AERB regulatory requirements as per AERB Safety Codes on (i) Regulation of Nuclear and Radiation Facilities (AERB/SC/G), (ii) AERB Safety Code on Site Evaluation of Nuclear Facilities (AERB/NF/SC/S, Rev.1), (iii) AERB Safety Code on Quality Assurance in NPPs (AERB/SC/QA) (iv) AERB Safety standard for Fire Protection Systems for Nuclear Facilities (AERB/NF/SS/FPS, Rev-1) (v) AERB Safety Guide on Consenting process for Nuclear fuel cycle facilities and related industrial facilities other than nuclear power plants and research reactors. (AERB/NF/SG/G-2) and related safety standards and guides.
नियामक समीक्षा Regulatory Review	एईआरबी ने अपनी स्थापित अनुमति प्रक्रिया के अनुरुप एनएफसी-कोटा के प्रचालन अनुमति आवेदन की संरक्षा समीक्षा और मूल्यांकन किया, ताकि आवश्यक डेटा/जानकारी की पूर्णता और लागू नियामक संरक्षा दस्तावेजों में निर्दिष्ट संबंधित प्रचालन अनुमति आवश्यकताओं के अनुपालन की जांच की जा सके। आंतरिक समीक्षाओं के बाद, प्रथम श्रेणी की संरक्षा समिति अर्थात् परमाणु सुविधा संरक्षा समिति-2 (एनएफएससी-2) द्वारा भी समीक्षा की गई। AERB conducted safety review and assessment of NFC-Kota's application for License for operation following its established consenting process to check completeness of the data/information required and compliance to the corresponding operating license requirements specified

AKB

	in applicable regulatory safety documents. Subsequent to In-house reviews, review by Tier-I safety committee viz. Nuclear Facilities Safety Committee-2 (NFSC-2) was carried out. इस अनुमति के अनुपालन से प्रचालन की प्रस्तावित गतिविधि श्रमिकों, जनता और पर्यावरण को अनावश्यक जोखिम पहुँचाए बिना की जा सकती है। The proposed activity of Operation can be carried out in compliance of this license without undue risk to workers, the public and the environment.
संरक्षा की ज़िम्मेदारी **Responsibility of Safety**	सुविधा या गतिविधि की संरक्षा की मुख्य ज़िम्मेदारी अनुमति प्राप्तकर्ता की है। विनियमों में निर्दिष्ट संरक्षा आवश्यकताओं का पालन करना अनुमति प्राप्तकर्ता की ज़िम्मेदारी है। The Prime responsibility for safety of the facility or activity lies with the Licensee. It is the responsibility of Licensee to comply with safety requirements as specified in Regulations.
अन्य वैधानिक आवश्यकताएँ **Other statutory requirements**	अनुमति प्राप्तकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि अन्य सभी आवश्यक वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त कर ली गई हैं और वे अनुमति के वर्तमान चरण, अर्थात एनएफसी-कोटा की प्रचालन के लिए मान्य हैं। Licensee shall ensure that all other necessary statutory permissions are obtained and are valid for present stage of permission i.e. Operation of NFC-Kota.
एईआरबी की शर्तें और नियम **AERB Stipulations and Conditions**	अनुलग्नक-2,3 और 4 देखें। Refer Annexure 2,3 &4

अनुलग्नक-1 में वर्णित संतोषजनक समीक्षा के आधार पर, परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम 2004 के तहत संरक्षा संबंधी विचारों से नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र - कोटा के प्रचालन के लिए अनुमति प्रदान की जाती है और परमाणु ऊर्जा (रेडियोधर्मी अपशिष्टों का संरक्षित निस्तारण) नियम, 1987 के तहत अनुलग्नक-5 में सूचीबद्ध रेडियोधर्मी अपशिष्टों के निस्तारण/स्थानांतरण के लिए अधिकृत किया जाता है, बशर्ते अनुलग्नक-2, 3 और 4 में निर्दिष्ट शर्तों और प्रावधानों का संतोषजनक अनुपालन हो। किसी भी शर्तों और प्रावधानों का अनुपालन न होने पर लाइसेंस की पुनः समीक्षा की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना लाइसेंस हस्तांतरणीय नहीं होगा।

Based on satisfactory review outlined in Annexure-1, License for Operation of Nuclear Fuel Complex-Kota is hereby granted under the Atomic Energy (Radiation Protection) Rules 2004 from safety considerations and is authorized to dispose / transfer radioactive wastes listed in Annexure-5 under the Atomic Energy (Safe Disposal of Radioactive Wastes) Rules, 1987, subject to satisfactory compliance to the stipulations and conditions specified in Annexure-2, 3 & 4. The

AKB

license will be subjected to re-review for any non-compliance to the stipulations and conditions. The license shall not be transferable without the prior approval of the Competent Authority.

परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 और कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत संचालन के लिए यह लाइसेंस और परमाणु ऊर्जा (रेडियोधर्मी अपशिष्टों का संरक्षित निपटान) नियम, 1987 के तहत रेडियोधर्मी अपशिष्टों के संरक्षित निपटान/स्थानांतरण के लिए यह प्राधिकरण 30 अप्रैल, 2031 तक वैध है।

This license for Operation under Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004 and Factories Act, 1948 and Authorization for safe disposal/ transfer of radioactive waste under the Atomic Energy (Safe Disposal of Radioactive Wastes) Rules, 1987 is valid upto April 30, 2031.

संलग्नक: अनुलग्नक 1-5

Encl.: Annexures 1-5

A. K. Balasubrahmanian 24/04/2026

(ए. के. बालासुब्रह्मण्यन, अध्यक्ष, एईआरबी

A. K. Balasubrahmanian, Chairman, AERB)

प्रति To,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी Chief Executive,
नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र Nuclear Fuel Complex,
ईसीआईएल, मौला-अली, हैदराबाद
ECIL, Moula-ali, Hyderabad
तेलंगाना Telangana-500062

ए. के. बालासुब्रह्मण्यन्/A. K. Balasubrahmanian
अध्यक्ष / Chairman
परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद
Atomic Energy Regulatory Board
भारत सरकार / Government of India
नियामक भवन / Niyamak Bhavan
अणुशक्तिनगर / Anushaktinagar, मुंबई / Mumbai - 400 094.

प्रतिलिपि Copy to:

एईआरबी AERB

अध्यक्ष (कार्यालय) **Chairman (Office)**
कार्यकारी निदेशक, नियामक प्रचालन
Executive Director, Regulatory Operations
प्रमुख, एनपीएसडी **Head, NPSD**
प्रमुख, डीआरआई **Head, DRI**
प्रमुख, ओपीएसडी **Head, OPSD**
प्रमुख, एलडब्ल्यूआर और एफसीएफ-पीएस, एनपीएसडी
Head, LWR&FCF-PS, NPSD

एईआरबी समितियाँ AERB Committees

अध्यक्ष एवं सदस्य-सचिव, एनएफएससी-2
Chairman & Member-Sec, NFSC-2

एनएफसी NFC

परियोजना निदेशक, एनएफसी-कोटा
Project Director, NFC-Kota

महाप्रबंधक, एनएफसी-कोटा
General Manager, NFC-Kota

कोटा स्थित नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र के संचालन हेतु सुरक्षा समीक्षा

Safety review for Operation of Nuclear Fuel Complex at Kota

काकरापार और रावतभाटा में स्थापित किए जा रहे 700 MWe दाबित भारी पानी विद्युत संयंत्रों (PHWRs) के लिए ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एनएफसी द्वारा रावतभाटा, राजस्थान में नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र -कोटा (एनएफसी-कोटा) को स्थापित किया जा रहा है। हॉट कमीशनिंग गतिविधियों के सफल समापन के बाद, एनएफसी-कोटा ने 17 मार्च 2026 को प्रचालन अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, साथ ही आवश्यक सहायक दस्तावेज भी जमा किए। एनएफसी-कोटा ने 700 MWe PHWRs के उपयोग हेतु प्रति वर्ष 500 MT तैयार UO_2 ईंधन बंडलों के उत्पादन का प्रस्ताव रखा है।

Nuclear Fuel Complex-Kota (NFC-Kota) is being established by NFC at Rawatbhata, Rajasthan Site to meet the fuel requirements for the 700MWe PHWRs at Kakrapar and Rawatbhata. After successful completion of hot commissioning activities, NFC-Kota submitted an Application for License for Operation on March 17, 2026 along with its supporting submissions. NFC-Kota has proposed to carry out production of 500 MTPY of finished UO_2 fuel bundles for use in 700 MWe PHWRs

संरक्षा समीक्षा का आधार/ Safety Review Basis:

प्रचालन अनुमति के आवेदन की समीक्षा एईआरबी संरक्षा संहिताओं और संबंधित संरक्षा निर्देशिका में निर्दिष्ट लागू आवश्यकताओं के आधार पर की गई। समीक्षा प्रक्रिया के मुख्य आधार दस्तावेज निम्नलिखित थे:

(i) नाभिकीय और विकिरण सुविधाओं का नियमन (एईआरबी/एससी/जी)

(ii) नाभिकीय सुविधाओं के स्थल मूल्यांकन पर एईआरबी संरक्षा संहिता (एईआरबी/एनएफ/एससी/एस, संशोधन 1)

(iii) एनपीपी में गुणवत्ता आश्वासन पर एईआरबी संरक्षा संहिता (एईआरबी/एससी/क्यूए)

(iv) नाभिकीय सुविधाओं के लिए अग्नि संरक्षा प्रणालियों हेतु एईआरबी संरक्षा मानक (एईआरबी/एनएफ/एसएस/एफपीएस, संशोधन-1)

(v) नाभिकीय ईंधन चक्र सुविधाओं और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और अनुसंधान रिएक्टरों के अलावा संबंधित औद्योगिक सुविधाओं के लिए अनुमति प्रक्रिया पर एईआरबी संरक्षा निर्देशिका (एईआरबी/एनएफ/एसजी/जी-2) और संबंधित संरक्षा मानक और निर्देशिका।

एईआरबी/एनएफ/एसजी/जी-2 के अनुरूप, एनएफसी-कोटा ने प्रचालन लाइसेंस के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज प्रस्तुत किए।

AKB

Review of the application for License for operation was undertaken against the applicable requirements specified in AERB safety codes and associated Safety Guides. Following formed the main basis documents for review process.

(i) Regulation of Nuclear and Radiation Facilities (AERB/SC/G)
(ii) AERB Safety Code on Site Evaluation of Nuclear Facilities (AERB/NF/SC/S, Rev.1)
(iii) AERB Safety Code on Quality Assurance in NPPs (AERB/SC/QA)
(iv) AERB Safety standard for Fire Protection Systems for Nuclear Facilities (AERB/NF/SS/FPS, Rev-1)
(v) AERB Safety Guide on Consenting process for Nuclear fuel cycle facilities and related industrial facilities other than nuclear power plants and research reactors. (AERB/NF/SG/G-2) and related safety standards and guides.

In line with AERB/NF/SG/G-2, NFC-Kota submitted the supporting documents required for License for Operation.

नियामक समीक्षा प्रक्रिया/ Regulatory Review Process:

यह देखते हुए कि एनएफसी-कोटा केवल प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करता है, इसे कम-जोखिम श्रेणी की सुविधा के रूप में वर्गीकृत किया गया है, एईआरबी/एनएफ/एसजी/जी-2 में वर्णित समीक्षा तंत्र के अनुसार एक ग्रेडेड अप्रोच अपनाया गया। एनएफसी-कोटा के जोखिम की संभावना के अनुरूप और एईआरबी आईएमएस दस्तावेज के अनुसार, टियर-I स्तर की समीक्षा आवश्यक मानी गई।

Considering that NFC-Kota handles only natural uranium and is categorized as a low-hazard facility, a graded approach to the review mechanism as outlined in the AERB Safety Guide on the Consenting Process for Nuclear Fuel Cycle Facilities and Related Industrial Facilities other than NPPs & RRs (AERB/NF/SG/G-2)was adopted. Commensurate with the hazard potential of NFC-Kota and in line with AERB IMS document, a Tier-I level review is needed.

एईआरबी ने स्थापित अनुमति प्रक्रिया के अनुसार एनएफसी-कोटा के प्रचालन अनुमति आवेदन की संरक्षा समीक्षा और मूल्यांकन किया, ताकि आवश्यक डेटा/सूचना की पूर्णता और लागू नियामक संरक्षा दस्तावेजों, में निर्दिष्ट प्रचालन अनुमति आवश्यकताओं के अनुपालन की पुष्टि की जा सके। आंतरिक समूहों/विभागों द्वारा समीक्षा के पश्चात, आवेदन, प्रमुख निष्कर्षों और अनुशंसाएँ की जांच टियर-I संरक्षा समिति, अर्थात परमाणु सुविधा संरक्षा समिति-2 (एनएफएससी-2) द्वारा भी की गई।

AERB conducted safety review and assessment of NFC-Kota's application for license for operation following its established consenting process to check completeness of the data/information required and compliance to the corresponding operating license requirements specified in applicable regulatory safety documents. Subsequent to reviews by identified In-

AKB

house Groups/ Divisions the application, salient findings and recommendations were examined by Tier-I safety committee viz. Nuclear Facilities Safety Committee-2 (NFSC-2).

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ/ Conclusion & Recommendation:

एनएफसी-कोटा की गतिविधियाँ कम-जोखिम श्रेणी में आती हैं। प्रचालन के दौरान रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन और संदूषण के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक प्रणालियाँ उपलब्ध हैं। आवेदन, उसके बाद प्रस्तुत दस्तावेजों और की गई समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ है कि संबंधित संरक्षा पहलुओं को पर्याप्त रूप से संबोधित किया गया है। पहचाने गए प्रक्रिया-जोखिमों के संदर्भ में संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रणालियाँ और संसाधन उपलब्ध हैं। एनएफसी को समान प्रकार की ईंधन निर्माण सुविधाओं के प्रचालन का पर्याप्त अनुभव भी है।

The activities at NFC-Kota are of low hazard category. The systems required for radioactive waste management and prevention of spread of contamination during Operation are available. The application, the subsequent submissions and the review carried out has shown that the associated safety aspects have been adequately addressed. Systems and resources required to ensure safety w.r.t identified process hazards are in place. NFC also has adequate experience of operating similar fuel fabrication facilities.

संतोषजनक समीक्षा के आधार पर, एनएफसी-कोटा को कुछ शर्तों/ नियम के साथ प्रचालन लाइसेंस प्रदान किया गया है।

Based on the satisfactory review, License for Operation is issued to NFC-Kota with certain stipulations/conditions.

AKB

अनुलग्नक-2 Annexure-2

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र - कोटा के संचालन के लिए लाइसेंस हेतु एईआरबी की शर्तें और नियम

AERB Stipulations and Conditions of License for Operation of Nuclear Fuel Complex, Kota

S.1.1 गतिविधि शुरू करने से पहले सभी आवश्यक रेडियोलॉजिकल संरक्षा उपाय लागू किए जाएँगे और विकिरण संरक्षा प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन किया जाएगा। All the required radiological protections shall be in place before taking up the activity and the Radiation Protection Procedures shall be strictly adhered to.

S.1.2 एनएफसी-कोटा प्रत्येक शिफ्ट के दौरान प्रचालन के लिए तकनीकी विनिर्देशों में उल्लिखित शॉपवाइज न्यूनतम अधिकृत जनशक्ति आवश्यकता का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। NFC-Kota shall ensure compliance with the shop-wise minimum authorized manpower requirement brought out in the Technical Specifications for Operation of NFC-Kota during every shift of operation.

S.1.3 एनएफसी-कोटा को एनएफएससी-2 और एईआरबी द्वारा उनकी समीक्षाओं के दौरान की गई सभी अनुशंसाएँ का पालन करना होगा। NFC-Kota should comply with all the recommendations made by NFSC-2 and AERB during the course of their reviews.

S.1.4 एईआरबी द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों, प्रक्रियाओं या तकनीकी विशिष्टताओं में एईआरबी की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। No changes shall be made to the programs, procedures or technical specifications, which have been approved by AERB without such changes being given prior approval by AERB.

S.1.5 अधिकृत व्यक्ति रेडियोधर्मी अपशिष्टों का निस्तारण या स्थानांतरण अनुबंध-5 में निर्दिष्ट सीमाओं के अनुसार सख्ती से करेगा। यह प्राधिकरण केवल सामान्य अपशिष्ट निस्तारण/स्थानांतरण कार्यों के लिए है। विशेष अपशिष्ट निस्तारण/स्थानांतरण के लिए अलग से आवेदन प्रस्तुत करना होगा। The person authorized shall dispose-off or transfer radioactive wastes strictly in accordance with the limits specified in Annexure-5. This authorization is for normal waste disposal / transfer operations only. Separate application shall be submitted for special waste disposal/ transfer.

S.1.6 इस सुविधा का प्रचालन एनएफसी-कोटा के लिए अनुमोदित तकनीकी विनिर्देशों के सख्त अनुपालन में किया जाएगा। The facility shall be operated strictly in compliance with the approved Technical Specifications for Operation of NFC-Kota.

S.1.7 सभी औद्योगिक और अग्नि संरक्षा आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
All the Industrial & Fire Safety Requirements shall be strictly complied.

S.1.8 अनुमति प्राप्तकर्ता, गुणवत्ता आश्वासन पर एईआरबी संहिता (एईआरबी/एनपीपी/एससी/क्यूए) की आवश्यकताओं और इस संबंध में एईआरबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम का कार्यान्वयन करेगा।

AKB

The Licensee shall implement the Quality Assurance Program laid down as per the requirements of AERB code on Quality Assurance AERB/NPP/SC/QA and any other requirements stipulated by AERB in this regard from time to time.

S.1.9 परमाणु ऊर्जा अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में दिए गए कारणों से, अधिनियम में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार, अनुमति निरस्तीकरण, निलंबन, संशोधन या संशोधन के अधीन होगी। The License shall be subject to revocation, suspension, modification or amendment, for causes as provided in the Atomic Energy Act and rules made thereunder, in accordance with the procedures laid down in the Act.

S.1.10 संरक्षा के हित में एईआरबी द्वारा आवश्यकतानुसार अनुमति की शर्तें और नियमों में संशोधन, पुनरीक्षण या परिवर्तन किया जा सकता है। The stipulations and conditions of the License can be amended, revised, or modified as considered necessary by AERB in the interest of safety.

S.1.11 सभी महत्वपूर्ण संरक्षा घटना की सूचना महत्वपूर्ण घटना रिपोर्टिंग मानदंड के अनुसार एईआरबी को सक्रिय रूप से दी जाएगी। All safety significant events shall be proactively reported to AERB as per Significant Event Reporting (SER) Criteria.

S.1.12 आवेदन में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए कोई गतिविधि या प्रचालननहीं किया जाएगा। No activity or operation shall be carried out for purposes other than those mentioned in the application.

S.1.13 अनुमति प्राप्तकर्ता एईआरबी को निर्धारित प्रारूप में त्रैमासिक और वार्षिक स्वास्थ्य भौतिकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।The licensee shall ensure the submission of Quarterly and Annual Health Physics reports to AERB in the prescribed format.

S.1.14 इस लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन एईआरबी को समाप्ति तिथि से छह महीने पहले प्रस्तुत किया जाएगा।The application for renewal of this license shall be submitted to AERB six month before the date of expiry.

*****

AKB

अनुलग्नक-3 Annexure-3

कारखाना अधिनियम-1948 और उसके तहत लागू नियमों के तहत लाइसेंस की शर्तें और प्रावधान
STIPULATIONS AND CONDITIONS OF LICENCE UNDER THE FACTORIES ACT-1948 AND APPLICABLE RULES FRAMED THEREUNDER

S.2.1 संयंत्र के संरक्षित प्रचालनकी मुख्य जिम्मेदारी अधिभोगी की होगी।
The prime responsibility for the safe operation of the plant shall be vested with the Occupier.

S.2.2 अधिभोगी, एईआरबी द्वारा अधिकृत लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक क्षमता पर संयंत्र का प्रचालननहीं करेगा।
The Occupier shall not operate the plant in excess of the licensed capacity authorized by the AERB.

S.2.3 अधिभोगी को कारखाना अधिनियम, 1948 और परमाणु ऊर्जा (कारखाना) नियम, 1996 के सभी प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करना होगा। The Occupier shall comply with all the relevant provisions of the Factories Act, 1948 and the Atomic Energy (Factories) Rules, 1996.

S.2.4 अधिभोगी को परमाणु ऊर्जा (कारखाना) नियम, 1996 के प्रावधानों के अनुपालन में सुविधा में संरक्षा संगठन और कल्याण संगठन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।
The Occupier shall ensure the availability of Safety Organization and Welfare Organization in the Facility in compliance with the provisions of the Atomic Energy (Factories) Rules, 1996.

S.2.5 अधिभोगी को परमाणु सुविधाओं के लिए अग्नि संरक्षा प्रणालियाँ (संशोधन 1) पर एईआरबी संरक्षा मानक की आवश्यकताओं के अनुसार अग्नि संगठन बनाए रखना होगा। The Occupier shall maintain the Fire Organization as per the requirements of AERB Safety Standard on "Fire Protection Systems for Nuclear Facilities (Rev.1)".

S.2.6 अधिभोगी को संयंत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को खतरनाक रसायनों को संभालते समय उनकी संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जानकारी, प्रशिक्षण और उपकरण, जिनमें मारक भी शामिल हैं, प्रदान करने होंगे। The Occupier shall provide to the persons working in the plant with the information, training and equipment including antidotes necessary to ensure their safety while handling hazardous chemicals.

S.2.7 अधिभोगी को दुर्घटनाओं को रोकने और खतरनाक रसायनों को संभालने के संबंध में व्यक्तियों और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को सीमित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने होंगे। The Occupier shall take adequate steps to prevent accidents and to limit the consequences to persons and the environment with regard to handling of hazardous chemicals.

S.2.8 अधिभोगी को दुर्घटनाओं, खतरनाक घटनाओं और अधिसूचित रोगों की सूचना निर्धारित प्रपत्रों में परमाणु ऊर्जा (कारखाना) नियम, 1996 के नियम 89 और नियम 90 में निर्धारित अवधि के भीतर भेजनी होगी। ।

AKB

The Occupier shall send notice of accidents, dangerous occurrences and notifiable diseases in the prescribed forms within the duration stipulated in the Rule 89 and Rule 90 of the Atomic Energy (Factories) Rules, 1996.

S.2.9 सुविधा, परमाणु ऊर्जा (कारखाना) नियम, 1996 के परिशिष्ट में निर्धारित प्रासंगिक प्रपत्रों में अभिलेखों का रखरखाव करेगी। The Facility shall maintain records in the relevant forms as prescribed in the Appendix of the Atomic Energy (Factories) Rules, 1996.

S.2.10 अधिभोगी, संरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के संबंध में परमाणु ऊर्जा नियामक परिशद द्वारा की गई सभी सिफारिशों का पालन करेगा। The Occupier shall comply with all the recommendations made by the AERB in respect of Safety, Health and the Environment.

S.2.11 लाइसेंस के नियमों और शर्तों को, संरक्षा के हित में, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधित, पुनरीक्षित या परिवर्तित किया जा सकता है। The Terms and Conditions of the License can be amended, revised or modified, as considered necessary, by the Atomic Energy Regulatory Board in the interest of Safety.

S.2.12 यदि आवेदन में की गई कोई घोषणा या दी गई जानकारी झूठी पाई जाती है या ऐसे आवेदन में दिए गए किसी वचन का पालन नहीं किया जाता है, तो लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। The License may be suspended or cancelled, if any declaration made or information given in the application is found to be false or if any undertaking given in such application is not carried out.

S.2.13 इस लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन, समाप्ति तिथि से छह महीने पहले परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद को भेजा जाएगा। Application for renewal of this License shall reach the Atomic Energy Regulatory Board six months before the date of expiry.

*****

AKB

अनुलग्नक-4 Annexure-4

प्राधिकार के नियम और शर्तें TERMS AND CONDITIONS OF AUTHORISATION

S.3.1. अधिकृत व्यक्ति रेडियोधर्मी अपशिष्ट के निस्तारण और विकिरण संरक्षा से संबंधित सभी निम्नलिखित प्रावधानों का पालन करेगा। The person authorized shall abide by all the provisions concerning disposal of radioactive waste and radiation protection laid down in-

i. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33); The Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962);

ii. परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004; The Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004

iii. परमाणु ऊर्जा (रेडियोधर्मी अपशिष्ट का संरक्षित निस्तारण) नियम, 1987; The Atomic Energy (Safe Disposal of Radioactive Wastes) Rules, 1987

S.3.2. अधिकृत व्यक्ति रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण या हस्तांतरण ,सख्ती से ,अनुलग्नक-5 में निर्दिष्ट सीमाओं के अनुसार करेगा। The person authorized shall dispose-off or transfer of radioactive wastes strictly in accordance with the limits specified in Annexure- 5.

S.3.3. अधिकृत व्यक्ति ,सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना रेडियोधर्मी अपशिष्ट को किराए, उधार, बिक्री, हस्तांतरण या अन्यथा परिवहन नहीं करेगा। The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the radioactive waste without obtaining prior permission of the competent authority.

S.3.4. अधिकृत व्यक्ति द्वारा उसके आवेदन में दिए गए कर्मियों, उपकरणों, काम करने की परिस्थितियों में कोई भी अनाधिकृत परिवर्तन इस प्राधिकार का उल्लंघन होगा। Any unauthorized change in personnel, equipment, working conditions from that given in his application by the person authorized shall constitute a breach of this authorization.

S.3.5. अधिकृत व्यक्ति अपशिष्ट निस्तारण संस्थापन को बंद करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित संस्थागत नियंत्रण प्रदान करेगा। The authorized person shall take prior permission of the competent authority for shut down of the waste disposal installation and shall provide institutional controls as may be stipulated by the Competent Authority.

S.3.6. एईआरबी कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले नियामक निरीक्षण के लिए ,प्रपत्र-III में संस्थापन में अभिलेखों का प्रबंधन किया जाएगा। Records shall be maintained in the installation in Form-III for regulatory inspection from time to time by AERB staff.

S.3.7. निस्तारण/स्थानांतरित रेडियोधर्मी अपशिष्ट का एक समेकित रिटर्न संस्थापन द्वारा सक्षम प्राधिकारी को फॉर्म-IV को प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाएगा। A consolidated return of radioactive wastes disposed / transferred shall be submitted in Form-IV by the installation to the Competent Authority annually.

S.3.8. अनुलग्नक-5 में निर्दिष्ट सीमाओं के किसी भी उल्लंघन की सूचना सक्षम प्राधिकारी को 5 दिनों के भीतर दी जाएगी। Any violation of the limits specified in Annexure-5 shall be intimated to the Competent Authority within 5 days.

S.3.9. कम गतिविधि स्तरों को रिकॉर्ड करने के लिए लंबी अवधि के लिए ZnS (Ag) आधारित अल्फा काउंटिंग सिस्टम का उपयोग करके 50 मीटर स्टैक और 30 मीटर स्टैक से गैसीय निर्वहन की निगरानी की जानी

AKB

चाहिए। The gaseous discharges from 50m stacks and 30m stack should be monitored using ZnS (Ag) based Alpha Counting System for long durations to record low activity levels.

S.3.10. इसके अलावा, रेडियोन्यूक्लाइड्स की वास्तविक संरचना का पता लगाने के लिए आवधिक आधार पर स्पेक्ट्रोमेट्रिक विश्लेषण किया जाना चाहिए। Further, spectrometric analysis on periodic basis should be carried out to ascertain the actual composition of radionuclides.

S.3.11. इसके अतिरिक्त, एनएफसी-कोटा बागवानी के लिए उपयोग किए जाने वाले उपचारित जल में यूरेनियम की सीमा 60 पीपीबी का अनुपालन करेगा, तथा यह सुनिश्चित करेगा कि आसपास के जल निकायों में यूरेनियम की मात्रा अन्य वैधानिक निकायों द्वारा निर्धारित पेयजल सीमा के भीतर हो। In addition, NFC-Kota shall comply with the U limit of 60 ppb in the treated water used for gardening while ensuring that the U content in the surrounding water bodies is within drinking water limits as prescribed by other statutory bodies.

*****

AKB

अनुलग्नक-5 Annexure-5

प्राधिकृत संस्थापन : नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र - कोटा
Authorised Installation: *NUCLEAR FUEL COMPLEX - KOTA*
प्राधिकार सं. Authorisation No.0005 समाप्ति की तिथि Date of Expiry: 30/04/2031
प्रचालन के लिए रेडियोधर्मी अपशिष्ट के निस्तारण या स्थानांतरण के लिए प्राधिकृत विवरण
Authorized Particulars for Disposal or Transfer of Radioactive Waste for Operation

विवरण PARTICULARS	ठोस अपशिष्ट SOLID WASTE	तरल अपशिष्ट LIQUID WASTE	गैसीय अपशिष्ट GASEOUS WASTE
(a) भौतिक रूप/ पैकेजिंग Physical form / packaging	लागू नहीं Not Applicable	धोने का पानी । Wash water	संयंत्र वेंटिलेशन निकास हवा। Plant ventilation exhaust air.
(b) रसायनिक विशेषताएं Chemical Characteristics	लागू नहीं Not Applicable	यूरेनियम ऑक्साइड से दूषित धोने का पानी । Wash Water contaminated with uranium oxide	यूरेनियम ऑक्साइड कणों से प्रदूषित वायु। Air contaminated with uranium oxide particulate.
(c) अपशिष्ट की वार्षिक मात्रा की अनुमति है Annual volume of waste permitted for (i) स्थापना द्वारा ही निस्तारण Disposal by Installation itself (ii) अपशिष्ट प्रबंधन एजेंसी को स्थानांतरण Transfer to Waste Management Agency	लागू नहीं Not Applicable	(i) 29871 m^3 कैट. ए1 29871 m^3 Cat.A_1 (ii) लागू नहीं Not Applicable	(i) $1.37x10^{10}$ m^3 कैट. ए2 (50 मीटर (सूखा भाग) स्टैक एम1 और एम 2 के माध्यम से निकास हवा) $7.38 x10^9$ m^3 कैट. ए2 (50 मीटर (गीला भाग) स्टैक एम1 और एम 2 के माध्यम से निकास हवा) और $6.97x10^8$ m^3 कैट. ए2 (30 मीटर स्टैक के माध्यम से निकास हवा) $1.37x10^{10}m^3$ Cat.A_2 (exhaust air through 50m (dry section) stack M1 & M2) $7.38 x10^9$ m^3 Cat.A_2 (exhaust air through 50m (wet section) stack M1 & M2) and $6.97x10^8$ m^3 Cat.A_2 (exhaust air through 30m stack) (ii) लागू नहीं Not Applicable
(d) रेडियोन्यूक्लाइड की अनुमति है Radionuclide permitted for (i) स्थापना द्वारा ही निस्तारण Disposal by Installation itself (ii) अपशिष्ट प्रबंधन एजेंसी को स्थानांतरण Transfer to Waste Management Agency	लागू नहीं Not Applicable	(i) प्राकृतिक यूरेनियम Natural Uranium (ii) लागू नहीं Not Applicable	(i) प्राकृतिक यूरेनियम Natural Uranium (ii) लागू नहीं Not Applicable
(e) अपशिष्ट की कुल वार्षिक गतिविधि की अनुमति है। Total annual activity of waste permitted for (i) स्थापना द्वारा ही निस्तारण Disposal by Installation itself (ii) अपशिष्ट प्रबंधन एजेंसी को	लागू नहीं Not Applicable	(i) 44.8 MBq कैट. ए1 44.8 MBq Cat.A_1 (ii) लागू नहीं Not Applicable	(i) 2060 MBq कैट. ए2 50 मीटर (सूखा भाग)स्टैक एम1 और एम 2 के माध्यम से 222 MBq कैट. ए2 50 मीटर (गीला भाग)स्टैक एम1 और एम 2 के माध्यम से और 70 MBq कैट. ए2 30 मीटर स्टैक के माध्यम से

AKB

स्थानांतरण Transfer to Waste Management Agency			2060 MBq Cat.A_2 through 50m (dry section) stack M1 & M2 222 MBq Cat.A_2 through 50m (wet section) stack M1 & M2 and 70 MBq Cat.A_2 through 30m stack (ii) लागू नहीं Not Applicable
(f) के लिए अनुमत विधि Permitted method for (i) संस्थापना द्वारा ही निस्तारण Disposal by Installation itself (ii) अपशिष्ट प्रबंधन एजेंसी को स्थानांतरण Transfer to Waste Management Agency	लागू नहीं Not Applicable	(i) रासायनिक और इलेक्ट्रोकोएग्यूलेशन उपचार। Chemical and Electrocoagulation treatment (ii) लागू नहीं Not Applicable	(i) प्री-फ़िल्टर और HEPA फ़िल्टर के माध्यम से निस्पंदन। Filtration through pre-filter and HEPA filter (ii) लागू नहीं Not Applicable
(g) संस्थापना द्वारा ही अपशिष्ट के निस्तारण के लिए अधिकृत स्थल का स्थान Location of site authorized for disposal of waste by installation itself	लागू नहीं Not Applicable	एनएफसी-कोटा के भीतर नामित उद्यान । Designated garden within NFC-Kota premises	50 मीटर स्टैक पीएफएफएफ के पास और 30 मीटर स्टैक ईटीपी के पास। 50m stacks at PFFF (4 nos) and 30m stack at ETP
(h) संस्थापना द्वारा ही निस्तारण के लिए अल्पकालिक गतिविधि सीमा की अनुमति दी गई Short term activity limit permitted for disposal by installation itself (i) अधिकतम गतिविधि Maximum activity (ii) अधिकतम एकाग्रता (गणना मूल्य) Maximum concentration (calculated value)	लागू नहीं Not Applicable	(i) --- (ii) यू < 60ppb U < 60ppb	(i) --- (ii) औसत दैनिक सीमा/ Average daily limit During Operation M1 & M2 (गीला भाग)स्टैक एम1 और एम 2 Wet stack M1 & M2 — 0.03 Bq/m³ सूखा भाग)स्टैक एम1 और एम 2 / Dry stack M1 & M2 — 0.15 Bq/m³ ईटीपी स्टैक ETP stack — 0.10 Bq/m³ Non-operation phase सभी स्टैक / All stacks — 0.02Bq/m³

A.K. Balan
24/04/2026

(ए. के. बालासुब्रह्मण्यन, अध्यक्ष, एईआरबी)

A. K. Balasubrahmanian, Chairman, AERB)

सक्षम प्राधिकारी/Competent Authority

ए. के. बालासुब्रह्मण्यन/A. K. Balasubrahmanian
अध्यक्ष / Chairman
परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद
Atomic Energy Regulatory Board
भारत सरकार / Government of India
नियामक भवन / Niyamak Bhavan
अणुशक्तिनगर / Anushaktinagar, मुंबई / Mumbai - 400 094.